

11.6.18
 2644

2

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाटी (सीकर)

लोक अदालत

पीठसैन अधिकारी

तहसीलदार रामगढ़-शेखवाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दायमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी।

को सूचना दी।

दिनांक:- 14.6.18

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाटी (सीकर)

लोक अदालत

पीठसैन अधिकारी

ग्राम	खता संख्या	वर्तमान परिवह (अशुद्ध परिवह)	आदेश (शुद्ध परिवह जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
शिराडी	60	राजस्व लान शान्त राणा	राजस्व लान शान्त राणा
शिराडी	60	राजस्व लान शान्त राणा	राजस्व लान शान्त राणा

मल दायमद के आदेश दिये जाते है:-

संख्या 9 में वर्तमान में दर्ज परिवह को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड तहसील रामगढ़-शेखवाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी संवत् 2074-75 में प्रार्थी के खता दुकती प्रार्थना पर एवं पदवारी को रिपोर्ट की रिपोर्ट 2018 व भू.अ.नि. की रिपोर्ट 2018

-: आदेश :-

पीठसैन अधिकारी लोक अदालत / कैम कोर्ट कैम

राजस्थान उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाटी (सीकर)

राजस्थान सरकार

(8 - कक)

पृष्ठ सं-26(बी)
 संख्या नियम 153 (ब)
 1 of 1

6(बी)
 3 (ब)